



रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
RailTel Corporation of India Ltd.

## स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("रेलटेल" या "कंपनी") के बोर्ड में उनकी नियुक्ति पर अंशकालिक (गैर-सरकारी) निदेशक / स्वतंत्र निदेशक निम्नलिखित नियमों और शर्तों का पालन करेंगे:

### 1. नियुक्ति: -

क) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कंपनी के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक / स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय द्वारा जारी उनके संबंधित आदेश में यथा उल्लिखित ऐसी अवधि और ऐसे नियमों और शर्तों के अध्यक्षीन होगी।

ख) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति अगली वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा पुष्टि के अध्यक्षीन है।

ग) स्वतंत्र निदेशक शर्त का निर्माण कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (SEBI) एलओडीआर (LODR) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई (DPE) दिशानिर्देश, समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना चाहिए।

घ) स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 या किसी अन्य वैधानिक / नियामक प्रावधानों या किसी अन्य विशिष्ट उद्देश्य के प्रावधान के अनुसार कार्यों को देखने के लिए कार्यकारी प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर गठित की जाने वाली बोर्ड की विभिन्न समितियों या किसी अन्य समिति (यों) में शामिल किया जा सकता है।

### 2. भूमिका, कार्य और कर्तव्य: -

स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (SEBI) एलओडीआर(LODR) विनियम 2015 के लागू प्रावधानों के अनुसार भूमिका, कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करना अपेक्षित होगा।

### 3. पारिश्रमिक और व्यय की प्रतिपूर्ति: -

क) स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल या समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 20,000/-रुपये पारिश्रमिक का, बैठक में भाग लेने के फीस के रूप में, भुगतान किया जाएगा।

ख) बैठक की फीस के भुगतान के अलावा, बाहर से आने वाले स्वतंत्र निदेशक कंपनी के निदेशकों के लिए लागू नियमों के अनुसार बोर्ड और समिति की बैठकों या किसी अन्य आधिकारिक बैठक में भाग लेने के लिए बोर्डिंग, लॉजिंग और यात्रा व्यय के लिए पात्र होंगे।

### 4. प्रवेशण: -

स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण और परिचित कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें प्रबंधन और कंपनी की योजना के अनुसार साइट का दौरा शामिल है, जो उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान सूचित निर्णय लेने में सक्षम करेगा।

### 5. हित का प्रकटीकरण और स्वतंत्रता की घोषणा: -

स्वतंत्र निदेशक, निदेशक, सदस्य, अन्य कंपनियों, फर्मों, निकाय कॉर्पोरेट आदि में भागीदारी के रूप में अपनी हित की प्रकृति का प्रकटीकरण करेगा और उनकी नियुक्ति के बाद आयोजित बोर्ड की पहली बैठक में और उसके बाद हर वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या जब भी परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के अनुसार स्वतंत्रता की घोषणा भी करेगा कि वह स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

### 6. सेवा समाप्ति: -

क) स्वतंत्र निदेशक किसी भी समय इस्तीफे के कारणों को बताते हुए रेल मंत्रालय और / या रेलटेल के निदेशक मंडल को लिखित सूचना देकर निदेशक पद से इस्तीफा दे सकता है।

ख) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का कार्यकाल रेल मंत्रालय के किसी और आदेश के अध्यक्षीन है।

### 7. गोपनीयता: -

क) एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान अर्जित की गई कंपनी के संबंध में सभी जानकारी को गोपनीय और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक / रेलटेल की पूर्व अनुमति के बिना तीसरे पक्ष को नहीं बताया जाएगा, जब तक कि कानून द्वारा अपेक्षित न हो।

ख) एक निदेशक के रूप में, स्वतंत्र निदेशक इनसाइडर ट्रेडिंग और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में निषेध और प्रतिबंधों के अध्यक्षीन हैं, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी नियमों के अंतर्गत निर्धारित है। उन्हें सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 (यथा संशोधित या समय-समय पर प्रतिस्थापित), यदि कोई हो के विनियम 9(1) के

अनुसार रेलटेल की प्रतिभूति के लेन-देन में इनसाइडर ट्रेडिंग की सुरक्षा के लिए आंतरिक आचार संहिता का सख्ती से पालन करना होगा।।

#### **8. उत्तरदायित्व: -**

लागू कानून के अध्यक्षीन, स्वतंत्र निदेशकों के कर्तव्यों के किसी उल्लंघन के लिए लागू कानूनों के तहत निर्धारित परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे और कंपनी के संबंध में, वे चूक के ऐसे कार्यों या कंपनी द्वारा ऐसे कार्यों, जो उनकी जानकारी में, बोर्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से आरोपित और उनकी सहमति या मिलीभगत से घटित हुए थे, या जहां उन्होंने पूरी लगन से काम नहीं किया है, के लिए उत्तरदायी होंगे।

#### **9. बीमा: -**

कंपनी ने निदेशकों और अधिकारियों की बीमा देयता नीति प्राप्त की है।

#### **10. विविध:-**

क) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता बोर्ड के निदेशकों की अधिकतम अनुमेय सीमा के अध्यक्षीन होती है, जो कि वे कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियमों और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार ग्रहण कर सकते हैं।

ख) स्वतंत्र निदेशक कंपनी का कर्मचारी नहीं होगा और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार उन्हें नियुक्ति पत्र / नियुक्ति का जो पत्र जारी किया जाएगा, वो रोजगार का अनुबंध नहीं होगा।

\*\*\*